भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2182 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्गों पर यात्री यातायात

† 2182. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों (आईएनडब्ल्यू) पर वर्ष- वार कुल कितना यात्री यातायात दर्ज किया गया;

(ख) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कितनी मात्रा में माल की आवाजाही की गई तथा माल की आवाजाही से कुल कितनी आय हुई;

(ग) देश में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के संचालन हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वर्ष 2025 में अधिसूचित विनियामक ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी चालू और निर्माणाधीन राष्ट्रीय जलमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग-64 के साथ निर्मित किए जा रहे सभी पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है तथा नदी क्रूज पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कुल कितना निवेश किया गया है;

(च) जलवाहक योजना का ब्यौरा क्या है साथ ही साथ उक्त योजना के अंतर्गत मार्ग-वार कितने राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यात्मक हैं; और

(छ) क्या सरकार द्वारा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में आवाजाही करने वाले माल को सुरक्षा एवं संबद्ध सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर कुल यात्री यातायात वर्ष 2023-24 में 1.61 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 7.64 करोड़ दर्ज किया गया।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों में दर्ज कार्गो आवाजाही और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा अल्पकालिक जमा पर ब्याज, निविदा प्रपत्रों की बिक्री, बड़े आकार के कार्गो/ सामान्य कार्गो की आवाजाही, बर्थिंग/ पायलटेज शुल्क आदि के माध्यम से अर्जित राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	कार्गो आवाजाही (मिलियन टन में)	अर्जित राजस्व (लाख रु. में)
2020-21	83.61	1950.05
2021-22	108.79	1182.34
2022-23	126.15	1397.04
2023-24	133.03	1988.29
2024-25	145.84	2533.90

(ग): राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टियों/ टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ जेट्टियों/ टर्मिनलों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी और गैर- सरकारी निवेश के माध्यम से अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। "जलसमृद्धि" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है जहां हितधारक निजी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर या उनके साथ टर्मिनलों के निर्माण हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे सरकारी वित्तपोषण के बिना तीव्रतंर अवसंरचना का शीघ्रता से विस्तार संभव हो सकेगा।

(घ): राज्य- वार प्रचालनरत राष्ट्रीय जलमार्गों का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ङ): आईडब्ल्यूएआई ने राष्ट्रीय जलमार्ग- 64 (महानदी नदी) पर निम्नलिखित 05 नदी क्रूज पर्यटन सर्किट की पहचान और सर्वेक्षण किया है।

(i) सुब्रानामेरू (सुब्रानपुर)- शिव मंदिर (बारगढ़)

(ii) सिंगानाथ मंदिर (कटक)- बडंबा (कटक)

(iii) बंकिमचर्चिघा (कटक)- त्रुतलादेवी मंदिर

(iv) जोबरा- श्री श्री डब्लेश्वरा मंदिर

(v) कंटिलों- मां भट्टारीका शक्तिपीठ

(च): सरकार द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:

i) इसमें वित्त वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए 95.42 करोड़ रु. का प्रावधान है।

ii) जलमार्ग यात्रा पर किए गए कुल वास्तविक परिचालन व्यय का 35% तक कार्गो स्वामियों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

iii) आईडब्लयूटी को बढ़ावा देने के लिए (आईसीएसएल) को आईसीएसएल द्वारा प्रचालित (i) कोलकाता- पटना/ वाराणसी जलमार्ग (ii) आईबीपी जलमार्ग से होते हुए कोलकाता- गोवाहाटी- और (iii) आईबीपी जलमार्ग से होते हुए कोलकाता- करीमगंज/ बदरपुर पर आईडब्ल्यूटी जलयान हेतु आईसीएसएल को वित्तपोषण प्रदान करके अंतर्देशीय और तटीय पोत परिवहन लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा निर्धारित सेवाओं की शुरूआत करना।

iv) यह योजना रा.ज.-1 और रा.ज.-2 और रा.ज.-16 पर केवल 200 कि.मी. से अधिक की दूरी के परिवहन के लिए लागू है।

(छ): नौचालन सुरक्षा, जीवन और कार्गो की सुरक्षा तथा अंतर्देशीय जलयानों की नौचालन द्वारा हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 2021 में राष्ट्रीय जलमार्ग संबंधी एक कानूनी और नियामक ढांचा का प्रावधान किया गया है जो भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों में चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय नियामक ढ़ांचा है। इसके अतिरिक्त, नौवहन चिह्नों वाले जलयानों को नौचलन सुरक्षा और संबंधित सहायता प्रदान की जाती है। कार्गो जलयानों पर सुरक्षित नौवहन हेतु नदी पायलेट प्रदान किए जाते है।

अनुबंध-1

30.11.2025 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत राष्ट्रीय जलमार्ग

क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्गों की सं.	रा.ज. की सीमाएं	राज्य
1	रा.ज.-1	गंगा –भागीरथी –हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया – इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल
2	रा.ज.-2	ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी–सादिया)	असम
3	रा.ज.-3	वेस्ट कोस्ट नहर	केरल
4	रा.ज.-4	कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली	आंध्र प्रदेश
5	रा.ज.-5	ईस्ट कोस्ट नहर और मताई नदी/ ब्राह्मणी – खार्सुआ – धामरा नदी/ महानदी डेल्टा नदियां	ओडिशा
6	रा.ज.-8	अलाप्पुझा –चंगनसरी नहर	केरल
7	रा.ज.-9	अलाप्पुझा –कोट्टायम –अथिरमपुझा नहर	केरल
8	रा.ज.-14	बैतरणी नदी	ओडिशा
9	रा.ज.-16	बराक नदी	असम
10	रा.ज.-23	बुधा बलांगा	ओडिशा
11	रा.ज.-31	धनसीरी/ चाल्हे	असम
12	रा.ज.-44	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल
13	रा.ज.-48	जवाई–लूनी नदी और रण ऑफ कच्छ नदी	गुजरात
14	रा.ज.-53	(कल्याण –ठाणे –मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी प्रणाली)	महाराष्ट्र
15	रा.ज.-64	महानदी नदी	ओडिशा
16	रा.ज.-86	रूपनारायण नदी	पश्चिम बंगाल

17	रा.ज.-94	सोन नदी	बिहार
18	रा.ज.-97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल
19	रा.ज.-10	अंबा नदी	महाराष्ट्र
20	रा.ज.-83	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र
21	रा.ज.-85	रेवडांडा क्रीक –कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
22	रा.ज.-91	शास्त्री नदी –जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र
23	रा.ज.-68	माण्डोवी नदी	गोवा
24	रा.ज.-111	जुआरी नदी	गोवा
25	रा.ज.-73	नर्मदा नदी	गुजरात
26	रा.ज.-100	तापी नदी	गुजरात
27	रा.ज.-27	कंबरजुआ नदी	गोवा
28	रा.ज.-47	जलंगी नदी	पश्चिम बंगाल
29	रा.ज.-87	साबरमती नदी	गुजरात
30	रा.ज.-57	कोपिली नदी	असम
31	रा.ज.-110	यमुना नदी	उत्तर प्रदेश
32	रा.ज.-40	घाघरा नदी	उत्तर प्रदेश

******